

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)
--:: संशोधित कार्य विभाजन आदेश ::--

क्रमांक 36/एक-11-1/85


दमोह, दिनांक 29 अप्रैल 2024

कार्य विभाजन आदेश क्रं. 27/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 10.04.2024 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

खण्ड (2) अत्यावश्यक कार्य तथा प्रभार आदेश के द्वितीय में सरल क्रं. 21 के पश्चात् सरल क्रं. 22 निम्नानुसार अंतस्थापित किया जाता है:-

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 22 | सुश्री निशिता श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड हटा, जिला दमोह के प्रथम अति. न्यायाधीश, (प्रशिक्षु न्यायाधीश) हटा | सुश्री दिव्यानी सिंह, द्वि. व्य. न्यायाधीश कनिष्ठ खंड हटा | श्री तेज सिंह गौड़, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड हटा | सुश्री दीप्ती ठाकुर, द्वि. व्य. न्यायाधीश वरिष्ठ खंड हटा |
|----|--|---|--|--|

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(अजय प्रकाश मिश्र)


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह म.प्र.

पृ.क्र.-522/एक-11-1/85

दमोह दिनांक 29/04/24

आदेशानुसार प्रतिलिपि :-

- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
- प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
- कार्यालय कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, दमोह/समस्त न्यायालय/समस्त प्रस्तुतकार/प्रवर्तन लिपिक/आसंजित लिपिक/अध्यक्ष/सचिव अधिवक्ता संघ दमोह/हटा/पथरिया, जिला दमोह, /कुटुम्ब न्यायालय दमोह/प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी/ लेखापाल/कार्यालय लिपिक/सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय दमोह, जिला दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


कृते-जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दमोह (म0प्र0)